ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-128/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी, उत्तराखंड के माह 03/2014 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीपीएस नेगी, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.02.2021 से 11.02.2021 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरविंद शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.03.2014 से 29.03.2014 तक श्री एस॰के॰ त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2001 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान मे माह 03/2014 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- सेवायोजन विभाग का उद्देश्य बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन के अवसर प्रदान करने मे सहायता करना है। इसके लिए बेरोजगार अभ्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, रोजगार मेला व काउंसिलिंग आदि जैसे क्रियाकलाप इकाई द्वारा सम्पन्न किए जाते है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के टिहरी जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2013-14	2230	137.78	25.28	112.50
2013-14	22300028009101	2.50	2.50	-
2014-15	2230	227.77	189.83	37.93
2014-15	2515	6.00	5.98	0.02
2015-16	2230	43.78	39.99	3.79
2015-16	2515	6.00	6.00	-
2016-17	2230	59.29	42.84	16.45
2016-17	2515	4.39	4.39	-

2017-18	2230	57.17	50.55	6.62
2017-18	2515	6.60	6.60	-
2018-19	2230	52.17	50.97	1.20
2018-19	2515	2.50	2.50	-
2019-20	2230	10.35	39.63	-29.28
2019-20	2515	5.00	5.00	-
2020-21 (01/2021)	2230	5.96	33.45	-27.49
2020-21 (01/2021)	2515	6.50	6.04	0.46

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2013-14						
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21 (1/21)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. उप निदेशक
5. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी
6. जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी
7. मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
8. समूह ग एवं घ कर्मचारी
9. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी, उत्तराखंड** के 03/2014 से 01/2021 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 3/15, 3/14, 12/17, 2/16 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2 'ब</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> पर्याप्त मानव संसाधन की अनुपलब्धता के कारण संचालित शिक्षण मार्गदर्शन केंद्र तथा कैरियर परामर्श कार्य का उदेश्य प्रभावित पाया जाना।

सेवायोजन कार्यालय टिहरी की लेखापरीक्षा के दौरान जनपद कार्यालय द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों की जानकारी लेखापरीक्षा मे ली गयी जिसमें पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों के कौशल में अभिवृद्धि करने के उदेश्य से जनपद में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से तृतीय श्रेणी की रिक्तियों के योग्य बनाने हेतु आशुलिपि, टंकण, सचिवीय पद्धति, भाषा सामान्य ज्ञान आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था कराया जाना है। प्रयोजन की पूर्ति हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र में स्वीकृत 07 पदों के सापेक्ष 06 पदों पर तैनाती रिक्त पायी गयी तथा 04 अनुदेशकों के सापेक्ष मात्र 01 अनुदेशक जो उपनल से भरे गये थे, शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र का संचालन किया जा रहा था। परन्तु अनुदेशकों की कमी के कारण संबन्धित कोर्स तथा प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप तैयार करने हेतु जनपद के युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे थे। परिक्षेत्र में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को सेवायोजन के उचित अवसर प्रदान करने हेतु उनका पंजीकरण करना तथा उन्हें कैरियर के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देना तथा रोजगार मेलों के माध्यम से उनको सेवायोजन के अवसर प्रदान करना है। कैरियर परामर्श प्रोग्राम के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालय द्वारा उनके परिक्षेत्र में आने वाले स्कूल/ कालेजों के छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक/स्वतः रोजगार के अवसर की जानकारी देने का कार्य स्वयं तथा विशेषज्ञों से वार्ताएं आयोजित कराकर सम्पन्न कराये जाते हैं ताकि छात्र/छात्राएं अध्ययन काल में ही अपने कैरियर का चुनाव कर सकें। इकाई द्वारा प्रस्तुत कैरियर काउन्सलिन्ग अभिलेख में दर्ज आंकड़ों से तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश काउन्सलिन्ग कार्य राजकीय संस्थानों में चलाये गये तथा प्राइवेट संस्थानों में आयोजन की संख्या नगण्य थी। कैरियर परामर्श प्रोग्राम के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालय द्वारा किन-किन विषयों पर विशिष्ट क्षेत्र के लिए फ़ैकल्टी हायर की गयी तथा उनके द्वारा संस्थानों में जो विषय वार्ताएं हुयी के सम्बन्ध मे सूचना अप्रस्तुत पायी गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष अनुदेशकों का पद रिक्त होने के कारण प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उत्तराखण्ड गठन के पश्चात संचालित जनपद कार्यालय में प्रारम्भ से ही पदों की रिक्तियाँ निरन्तर बनी हुयी है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी कैरियर काउन्सलिन्ग प्रदान किये जाने का प्रावधान है, परन्तु बजट के अभाव में राजकीय शिक्षण संस्थानों में ही आयोजन की प्राथमिकता दी जाती है। भविष्य में विशेषज्ञों का चयन जनपद कार्यालय द्वारा चयनित रोजगारपरक कोर्स निर्धारण के अनुरूप किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, सेवायोजन का मूल उदेश्य कैरियर काउन्सलिन्ग के माध्यम से युवाओं में रोजगारपरक चेतना सृजित करना तथा शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्र के माध्यम से युवाओं में कौशल वृद्धि कर उन्हें रोजगार के उपयुक्त बनाना है परन्तु प्रयोजन की पूर्ति के लिए पर्याप्त मानवसंसाधन की कमी तथा व्यापक क्षेत्रों में कैरियर काउन्सलिन्ग का आयोजन न कराया जाना शासकीय उदेश्य को प्रभावित करना पाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> इकाई द्वारा शासन द्वारा से प्राप्त ₹ 73.58 लाख की धनराशि के व्यय मे शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार-सहकौशल विकास भत्ता मद मे बरती अनियमित्ताए एवं शिक्षित बेरोजगारो को वितरित धनराशि ₹ 73.58 लाख के उपभोग का प्रमाण पत्र /उपियोगिता प्रमाणपत्र (UC) निदेशालय/शासन को प्रेषित न करना ।

कार्यालय ज़िला सेवायोजन अधिकारी टिहरी गढवाल की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई को शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार-सहकौशल विकास भत्ता मद मे लेखा शीर्षक -2230-02-800-07-00-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत शासन द्वारा कुल ₹ 73.59 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी ,जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा ₹ 73.58 लाख का व्यय किया गया था तथा उक्त मद मे सम्प्रेक्षा तिथि 01 तक मात्र ₹ 250.00 की धनराशि अवशेष थी। सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि उक्त विभाग मे पंजीकृत पात्र शिक्षित बेरोजगारो को शासनादेश संख्या-उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग संख्या-VIII/13-15(सेवा) /2012, दिनाक-21/06/2013 एवं उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग संख्या-1541(2)/VIII/12-15(सेवा)/2012, दिनाक-15/10/2012 के सन्दर्भ मे समीक्षा की गयी एवं सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया कि इकाई को शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार-सहकौशल विकास भत्ता मद मे लेखा शीर्षक -2230-02-800-07-00-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत शासन द्वारा कुल ₹ 73.59 लाख की धनराशि के सापेक्ष पात्र शिक्षित बेरोजगारो को वितरित धनराशि के उपियोगिता प्रमाणपत्र /धनराशि के उपभोग का प्रमाण पत्र ₹ 73.58 लाख को निदेशालय/शासन को प्रेषित करना अवशेष था। शासनादेश के अनुसार विभाग को आवेदको से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना था कि आवेदक किसी सरकारी सेवा से बरखास्त/removal तो नहीं किया गया ,परन्तु सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ते हेतु पात्र आवेदको से इस आशय का कोई प्रमाण -पत्र/शपथ पत्र प्राप्त नहीं किया गया था । कितने आवेदको के फॉर्म का परीक्षण कर उन्हे अनुलग्नक -05 मे पावती दी गयी तथा कितने आवेदको के आवेदन पत्र निरस्त किये गये इस आशय के कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया। शासनादेश के अनुसार बेरोजगारो को रोजगार-सहकौशल विकास भत्ता मद मे प्राप्त आवेदन फॉर्म का आकस्मिक सत्यापन करना व अनुश्रवण एवं निदेशालय के साथ की गयी minutes of meeting करना आदि जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षित था , परन्तु इस आशय के कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया। शासनादेश के अनुसार बेरोजगारो व्यक्तियों द्वारा बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के उपरान्त कितने बेरोजगारो के कौशल विकास भत्ते निरश्त/बन्द कर दिये गये इस सम्बंध मे कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि **निम्नलिखित आवेदको द्वारा अपनी डिग्री के upgradition एवं तदोनुसार बढ़ी हुयी शासनादेश के अनुसार बेरोजगार भत्ते की धनराशि प्राप्त करने हेतु (विवरण-अनुलग्नक-01 के अनुसार सलनग्न)**शासनादेश संख्या-उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग संख्या-VIII/13-15(सेवा)/2012, दिनाक-21/06/2013 का डिग्री हासील/प्राप्त करने के उपरान्त विभाग मे 01 वर्ष के अन्दर पंजीकरण न कराने के नमूना जांच मे कुछ प्रकरण प्राप्त हुए एवं आवद्को द्वारा मूल निवास पते/प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना भी नहीं पाया गया।

संप्रेक्षा द्वारा शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार-सहकौशल विकास भत्ता मद मे उक्त त्रुटियो/अनिमित्ताओ के बारे मे पूछने /इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया कि नियमो की जांच करके , त्रुटियो को सुधारते हुए अनुपालन आख्या शीग्र ही लेखा परीक्षा **कार्यालय**

को प्रेषित की जायेगी। सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभाग मे पंजीकृत पात्र शिक्षित बेरोजगारो को शासनादेश संख्या-उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग संख्या-VIII/13-15(सेवा)/2012, दिनाक-21/06/2013 एवं उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग संख्या-1541(2)/VIII/12-15(सेवा)/2012, दिनाक-15/10/2012 के तहत उक्त मद मे वितरित धनराशि ₹ 73.58 लाख का वितरण शासनादेश मे उल्लेखित नियम/शर्तो के अनुपालन मे न करना उक्त लाभार्थी योजना की विफलता को दर्शाता है एवं इकाई का उत्तर ही उक्त मद मे की गयी अनियमितताओ की पुष्टि करता है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-128/2020-21

<u>अनुलग्नक-01</u>

क्रमसंख्या	बेरोजगारी भत्ते हेतु पात्र आवेदको का नाम	फॉर्म मे त्रुटियो/अनिमित्ताओ का विवरण
01	विनीता	आवेदक का नाम हाइ स्कूल प्रमाण पत्र मे विनीता नौटियाल ,स्थायी प्रमाण पत्र मे विनीता देवी तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म मे कुमारी वीनिता आंकित पाया गया ।
-do-	**-do-**	**डिग्री के upgradition एवं तदोनुसार बढ़ी हुयी शासनादेश के अनुसार बेरोजगार भत्ते की धनराशि प्राप्त करने हेतु विवरण के अनुसार** शासनादेश संख्या-उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग संख्या-VIII/13-15(सेवा) /2012 , दिनाक-21/06/2013 का डिग्री हासील/प्राप्त करने के उपरान्त विभाग मे 01 वर्ष के अन्दर पंजीकरण न कराने के नमूना जांच मे कुछ प्रकरण प्राप्त हुए एवं आवद्को द्वारा मूल निवास पते/प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना भी नहीं पाया गया
02	**नरेंद्र सिंह**	-do-
03	**अर्जुन सिंह**	-do-
04	विधा प्रकाश पाण्डेय	-do-
05	इद्धवीर सिंह	-do-

STAN

<u>प्रस्तरः02-</u> विभाग की उदासीनता के कारण रु 10,13,140/- मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी ना किया जाना।

समान्य वित्तीय नियम के rule 218 modes of Disposal. (1) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above rupees two lakhs should be disposed of by:

(a) Obtaining bids through advertised tender

(b) Public auction

Rule 221 Disposal at scrap value or by other modes. If a ministry or Department is unable to sell any surplus or obsolete or unserviceable item in spite of its attempts through advertised tender auction, it may dispose of the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with finance division. In case of ministry or Department is unable to sell the item even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the item in an eco-friendly manner.

कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी के लेखा अभिलेखो की निष्प्रयोज्य सामग्री संबन्धित पत्रावली की जांच मे पाया गया की विभाग के अंतर्गत विगत कई वर्षो से रु **10,13,140/-** मूल्य की सामग्री नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है जिस कारण प्रतिदिन उसके मूल्य का लगातार हूस' होता जा रहा है जिसके कारण उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे लगातार कमी आ रही है इस के अतिरकित समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की अप्रत्यक्ष हानी होती जा रही है

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इस संदर्भ मे कार्यवाही गतिमान है।

उत्तर मान्य नहीं है। क्योकि विभाग द्वारा विगत कई वर्षो **से** निष्प्रयोज्य पड़ी रु **10,13,140/-** मूल्य की सामग्री की नीलामी नहीं की गयी जिस कारण लगातार उसके मूल्य का होता जा रहा है

अत: **रु 10.13**/-लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी ना किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
207/2013-14	शून्य	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
207/2013-14	शून्य	-		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	श्रीमती ममता चौहान नेगी	जिला सेवायोजन अधिकारी	25.07.2005 से 21.08.2014
02	श्री विनायक श्रीवास्तव	जिला सेवायोजन अधिकारी	21.08.2014 से 13.07.2017
03	श्री विक्रम	जिला सेवायोजन अधिकारी	13.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰1), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी-I